न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2392/2026

UPST010067362026

अंकित कुमार पुत्र ओमपाल, निवासी कस्बा व थाना ककरौली, जनपद मुजफ्फरनगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 89/2026,
अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता
थाना कूरेभार, जनपद जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 03.08.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 89/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना कूरेभार, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा आलोक कुमार द्विवेदी द्वारा थाना कूरेभार, जिला सुलतानपुर पर इस आशय की दर्ज करायी थाना क्षेत्र के ग्राम रंधौली में इंडस कम्पनी का एक मोबाइल टावर (आई.डी. IN-1514573) स्थापित है। दिनांक 13/14.05.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उक्त टावर से तीन अजना सी.एन. सेट चोरी कर लिए गए, जिससे क्षेत्र की नेटवर्क सेवा बाधित हो गई।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, कथित अभियोग में रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी को थाना अखण्डनगर में मौजूद अभियुक्तों के साथ अभियुक्त बना दिया, जबकि प्रार्थी को जिन अन्य अभियुक्तों के साथ जेल भेजा गया है, उन अभियुक्तों में प्रार्थी किसी अभियुक्त से परिचित व जान पहचान वाला तथा कोई सम्बन्धी नहीं है। प्रार्थी की तरफ से न्यायालय श्रीमान जी में प्रस्तुत यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत न तो न्यायालय श्रीमान जी में दिया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन ही है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष

(फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. प्रार्थी पर SSS INDUS पावर में लगे 3 कीमती उपकरण चोरी किए जाने का अभियोग है। मामला अज्ञात में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को किसी अन्य मामले में वांछित होने के आधार पर गिरफ्तार किये जाने के पश्चात इस मामले में भी अभियुक्त बनाया जाना कहा गया है। अभियोजन की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के पास से कथित चोरी का कोई भी उपकरण बरामद नहीं किया गया है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न मुकदमें दर्ज हैं :-

क्रम	मुकदमा अपराध सं0	अन्तर्गत धारा	थाना
1.	139/2026	3/25 आर्म्स एक्ट	अखण्डनगर
2.	135/2026	303(2) भारतीय न्याय संहिता	बल्दीराय
3.	193/2026	305(ए), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता	गोसाईगंज
4.	89/2026	303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता	कूरेभार
5.	175/2026	305, 331(4) भारतीय न्याय संहिता	चांदा
6.	90/2026	303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता	चांदा
7.	132/2026	303(2), 35, 317(4), 313(4), 319(2), 338, 336(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता	अखण्डनगर

अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का 06 अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मात्र आपराधिक इतिहास होना ही जमानत खारिज करने का आधार नही हो सकता है। सह-अभियुक्तगण आमिर मलिक एवं सुहेल मलिक की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। कथित घटना में प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका भी सहअभियुक्त के समान है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 से न्यायिक कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण-दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/- रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये-

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।

दिनांक 03.08.2026